<u>विधानसभा / महत्वपूर्ण</u>

कार्यालय संचालक
संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

ब्लॉक–2, तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
(Telephone-0771-2511974,, email-dirfood.cg@gov.in, website-www.fcs.cg.nic.in)

क्रमांक ०३ / संचा.–वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक ३० / ०६ / 2026

प्रति,

1. **कलेक्टर**
   जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई,
   छत्तीसगढ़
2. **प्रबंध संचालक,**
   छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.
   अटल नगर, नवा रायपुर
3. **प्रबंध संचालक,**
   अपेक्स बैंक,
   अटल नगर, नवा रायपुर, छ.ग.

विषय :– विधानसभा प्रश्न क्रमांक 80 तारांकित द्वारा श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य विधानसभा की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

––––00––––

कृपया विषयांतर्गत विभाग से प्राप्त विधानसभा प्रश्न क्रमांक 80 तारांकित की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त विधानसभा प्रश्न का उत्तर 'यूनिकोड फॉन्ट' में (परिशिष्टों की जानकारी भी 'यूनिकोट फॉन्ट' में) **दिनांक 01.07.2026** तक ई–मेल (dirfood.cg@gov.in) के माध्यम से हार्ड कॉपी एवं साफ्ट कॉपी सहित अनिवार्य रूप से भिजवाने का कष्ट करें। विधानसभा प्रश्न विभागीय वेबसाईट से भी डाउनलोड किये जा सकते है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

पृ.क्रमांक ०५ / संचा.–वि.स. / 2026 नवा रायपुर, दिनांक ३० / ०६ / 2026

प्रतिलिपि :–

खाद्य अधिकारी, जिला– खैरागढ़, छत्तीसगढ़। कृपया उक्त प्रश्न की जानकारी संचालनालय को निर्धारित समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सहायक संचालक
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक : **03/07/2026**

वर्ग : 1 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **13/07/2026** विभाग का नाम : **सहकारिता**

विषय : **जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में धान की मात्रा में आई कमी**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : **80**) **श्रीमतीयशोदा निलाम्बर वर्मा**

क्या **वन मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) विपणन वर्ष 2025-26 में जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत विभिन्न धान खरीदी केंद्रों में खरीदे गए धान की मात्रा (क्विंटल में) की जानकारी खरीदी केंद्रवार प्रदान करें? (ख) क्या खरीदी उपरांत या अंतिम धान उठाव के पश्चात् खरीदी केंद्रों में धान की मात्रा में परिवहन, भंडारण अथवा अन्य कारणों से कमी पाई गई है यदि हां तो तथा कुल खरीदी के विरुद्ध दर्ज की गई कमी का प्रतिशत एवं उसके कारणों की जानकारी केंद्रवार प्रदान करें? खरीदी उपरांत कितने प्रतिशत तक की कमी का निर्धारण शासन द्वारा मान्य हैं? मान्य मे अधिक कमी वाले खरीदी केंद्रों पर क्या -क्या कार्यवाही की गयी है?

Sent on : **30/06/2026 12:34:40 PM** | Reply By : **खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण** | Reply Date : | Pending | Sent From : | **सहकारिता** | Target Date : **30/06/2026**

Remark : कृपया प्रश्न के संबंध में आपके विभाग से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

कले खैरागढ़
मार्कफेड / अपेक्स बैंक

पं.
प्रति इरिया

खा.ना.आ. एवं उप.सं. विभाग
पं.क्र. 112/VS
दि. 30/6/25
छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय